न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

रण सं.– 87/2017

उनवान

लिछमण बनाम नजीर वगै0

लिछमण राम पुत्र गोमाराम उम्र 81 साल जाति जाट निवासी कमलनगर तन नुआ तहसील व जिला झुन्झुनू (हाल तहसील मंडावा)।

–प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. न्जीर पुत्र सरफुदीन जाति कसाई मुसलमान निवासी नुआ तहसील व जिला झुन्झुनूं। (हाल तहसील मंडावा)।
2. अब्दुल करीम पुत्र सरफुदीन जाति कसाई मुसलमान निवासी नुआ तहसील व जिला झुन्झुनूं। (हाल तहसील मंडावा)।
3. आमीन पुत्र सरफुदीन जाति कसाई मुसलमान निवासी नुआ तहसील व जिला झुन्झुनूं। (हाल तहसील मंडावा)।
4. याकुब पुत्र सरफुदीन जाति कसाई मुसलमान निवासी नुआ तहसील व जिला झुन्झुनूं। (हाल तहसील मंडावा)।
5. लैंड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)

–अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

उपस्थित अभिभाषक गण :–

1. श्री शंकरलाल मीणा – आवेदक की ओर से।
2. श्री फैयाज अहमद – अनावेदक की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक 20-06-2022

पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के आदेश हेतु पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी (आवदेक) ने दिनांक 25.10.2012 को न्यायालय हाजा के समस्त इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम कमल नगर तन नुआं तहसील व जिला झुन्झुनू स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 41,42,43 में करीब 25 वर्षो से पुख्ता मकानात बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है। जिसमें नूआं बना रखा है तथा पशुधन भी रखता है। प्रार्थी लिक्ष्मणराम के खेत के उत्तर में अप्रार्थीगण नजीर वगै0 का खेत खसरा नम्बर 45 है जिसके उत्तर में आम रास्ता कटान का स्थित है जो कमल नगर नूआं में श्यामपुरा जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

अपने खेत में चलकर खसरा नम्बर 45 से होते हुए इस आम रास्ता में आता जाता है। जो पर पगडन्डी के रूप में चालू है जिसे प्रार्थी 15 फुट चौडा करवाना चाहता है। इस रास्ते के वा प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। अतः निवेदन किया गया है कि ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने खेत में से कमल नगर नूआं में मपुरा वाले आम रास्ते में जाने हेतु अप्रार्थी 1 लगायत 4 खेत खसरा नम्बर 45 में से जाने वाला गन का रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही में दर्शाया गया है को खुलवाया जाकर 15 फीट डा रास्ता कायम किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जाने का निवेदन या गया था। जिसकों न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 12/12/2015 को प्रार्थी का र्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम करते हुए मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण नजीर वगैरह का करने का आदेश पारित किया गया था। जिसमें व्यथित होकर अप्रार्थी म्बर 1 लगायत 4 वगैरह द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ोकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2015 में किसी कार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर आदेश पारित किया गया। जिसमें व्यथित होकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08/06/2017 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जिला कलक्टर झुन्झुनू दिनांक 13.02.2017 एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 का पारित निर्णय अपास्त किये जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के नियम 69 की पूर्ण पालना करते हुए पक्ष को सुनकर पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर प्रस्तुत प्रकरण में पुनः विधि सम्वत निर्णय पारित करें। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायहित में समुचित अवसर दिया गया व विवादित भूमि रास्ता बाबत पुनः तहसीलदार मण्डावा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार मण्डावा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत करने पर आवदेक/आवदेकगण का ऐतराम/बहस सुनी जाकर समाआत की गई। पत्रावली में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 व मौका रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक खसरा नम्बर 220/45 में से पगडन्डी के रूप में आता जाता है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 220/45 रकबा 0.03 है किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक है। जमाबन्दी में इसके आगे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन नोट लगा हुआ है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए एक अन्य पगडन्डी खसरा नम्बर 37, 39 से होते हुए मौके पर चालू है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 41,42,43 में पगडंडी के रूप में चालू रास्तों की दूरी खसरा नम्बर 37, 39 में आने वाली पगडन्डी की दूरी 106 मीटर है। जिसका नजरी नक्शें में ए से बी बिन्दु है। उक्त पगडंडी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा अन्य प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते खसरा नम्बर 45 में से रास्ते की दूरी 88 मीटर है। बिन्दु संख्या 4 में दर्ज रास्ते के तुलनात्मक रूप से खसरा नम्बर 220/45 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 रास्ता सुविधानुसार प्रार्थी के खेत से नजदीक है तथा उक्त वर्णित पगडंडी के अलावा प्रार्थी के खेत

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

ाने जाने का अन्य कोई रास्ता नही होना बताया हुए अपनी रिपोर्ट पेश की। दौराने बहस दन द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम कमलनगर सम्वत 2074—77 में स्थगन आदेश का नोट नहीं ा हुआ है। उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत न्यायालय हाजा द्वारा उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत यालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.15 की पुष्टि पुनः मौका रिपोर्ट तहसीलदार के ष्ट जाहिर होना है। ऐसी सूरत में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.15 मेंकोई हस्तक्षेप या जाना न्यायोचित नही समक्षा जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.12.2015 को यथावत ा न्यायोचित है। अतः

आदेश

न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 को यथावत रखा जाता है। हसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ता भूमि बाबत अन्य सक्षम न्यायालय स्थगन ादेश न हो तो रास्ता अवरूद्व हो तो चालू करवाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति पालनार्थ सूचनार्थ तहसीलदार मण्डावा को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एंव बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-06-2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)